

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या-08/आ०-05-32/2024...../जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 1154 दिनांक 15.04.2024 द्वारा श्री राज नारायण प्रसाद सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिरदला, नवादा के विरुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने एवं सोशल मीडिया के स्लॉट पर वायरल फोटोग्राफ में तथाकथित पंचायत शिक्षक का नाम श्री सुशील कुमार एवं विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय, हेमजा देवपाल, सिरदला बताते हुए भ्रामक एवं अपूर्ण प्रतिवेदन भेजने, सरकारी कार्यों के प्रति उदासीन रहने, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने में पूर्ण रूप से विफल रहने, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता एवं कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने संबंधित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया।

तदालोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 527 दिनांक 04.07.2024 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 467 दिनांक 15.05.2025, पत्रांक 927 दिनांक 17.09.2025 एवं पत्रांक 570 दिनांक 29.04.2026 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गई।

उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 272 दिनांक 07.05.2026 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव अभिकथन में अंकित किया गया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने एवं सोशल मीडिया के स्लॉट पर वायरल फोटोग्राफ में तथाकथित पंचायत शिक्षक का नाम श्री सुशील कुमार एवं विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय हेमजा, देवपाल, सिरदला बताए जाने के आलोक में उनके द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्यालय पत्रांक 214 दिनांक 14.04.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा को समर्पित किया गया है। उनके (जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा) कार्यालय अभिलेख, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी, पदस्थापना विवरणी तथा शिक्षकोपस्थिति पंजी के आधार पर प्राथमिक विद्यालय, हेमजा देवपाल, सिरदला, नवादा में कुल 02 (दो) शिक्षक क्रमशः श्री मेघु राजवंशी तथा श्रीमती दयमन्ती कुमारी कार्यरत थे। उक्त अभिलेख में श्री सुशील कुमार, तथाकथित शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय हेमजा देवपाल, सिरदला में कार्यरत नहीं रहे हैं। वर्तमान प्रधान शिक्षक, श्री मेघु राजवंशी, प्राथमिक विद्यालय, हेमजा देवपाल, सिरदला के द्वारा भी दिनांक-14.04.2024 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि उनके विद्यालय में सुशील कुमार नाम के शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिरदला एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, नवादा के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि श्री सुशील कुमार, तथाकथित पंचायत शिक्षक फर्जी है, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2023 में समादेश याचिका दायर किया गया है। दिनांक 15.04.2024 को जिला कार्यक्रम

पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, नवादा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिरदला एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिरदला के द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिक विद्यालय हेमजा देवपाल, सिरदला का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें श्री सुशील कुमार, शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं पाये गये हैं। श्री सुशील कुमार एक राजनीतिक वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं, जो अवैध तरीके से फर्जी रूप में उपस्थिति पंजी पर अपना संक्षिप्त हस्ताक्षर बना लिये हैं, जो अवैध एवं गैर-कानूनी है एवं सरकारी तौर पर उसकी कोई मान्यता नहीं है। अतएव, उनके द्वारा श्री सुशील कुमार, तथाकथित पंचायत शिक्षक के संबंध में समर्पित प्रतिवेदन बिल्कुल सुस्पष्ट हैं एवं किसी भी तरह से भ्रामक प्रतिवेदन द्वारा समर्पित नहीं किया गया है।

उक्त बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का मन्तव्य प्रतिवेदित है कि श्री रविन्द्र नाथ भैया, पत्रकार, नवादा द्वारा लोकसभा चुनाव, 2024 में श्री सुशील कुमार के द्वारा चुनाव प्रचार के राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए सोशल मीडिया के स्लॉट पर फोटोग्राफ एवं समाचार वायरल किया था। फोटोग्राफ के साथ समाचार वायरल किया गया था कि उक्त श्री सुशील कुमार, सिरदला प्रखंड में शिक्षक हैं। वायरल फोटोग्राफ एवं समाचार के आलोक में कार्यालय द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिरदला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। सम्बन्धित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक 214 दिनांक 14.04.2024 के द्वारा मात्र विद्यालय प्रधान के अभिकथन पर अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। सुशील कुमार नामक शिक्षक, प्रा०वि०, हेमजा देवपाल, सिरदला में कार्यरत नहीं हैं। इनके द्वारा पूर्ण समीक्षा नहीं की गयी थी। तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, नवादा से मामले की जाँच करायी गयी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, नवादा ने अपने कार्यालय पत्रांक 103 दिनांक 15.04.2024 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के शिक्षक उपस्थिति पंजी में माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक श्री सुशील कुमार की उपस्थिति दर्ज है तथा माह अप्रैल 2024 में इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं है। यद्यपि सम्बन्धित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि उक्त शिक्षक श्री सुशील कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों की समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त तथाकथित शिक्षक के द्वारा दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० न० 8499/2023 निस्ताराधीन है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा किए बिना अपूर्ण एवं भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। अतः सम्बन्धित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध भ्रामक एवं अपूर्ण प्रतिवेदन भेजने, कार्यों के प्रति उदासीन रहने और कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने का आरोप स्थापित होता है।

प्राप्त आरोप पत्र, बचाव अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा के मन्तव्य प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत से स्पष्ट होता है कि आरोप पदाधिकारी द्वारा जो जाँच प्रतिवेदन भेजा गया वो पूर्ण नहीं था। इस प्रकार श्री सिंह द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है।

अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री राज नारायण प्रसाद सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिरदला, नवादा को आरोप वर्ष 2024-25 के लिए 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री सिंह के सेवा पुस्त में की जायेगी।

इसके साथ ही मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/-

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-08/आ०-05-32/2024-1076

पटना, दिनांक 25.09.2024

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-17(पेंशन शाखा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), नवादा/श्री राज नारायण प्रसाद सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिरदला, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई-मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।